न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 30/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
मदनराम पुत्र रामाराम जाति जाट निवासी दियावडी तहसील मुण्डवा जिला नागौर।		राज. सरकार जरिये तहसीलदार, मुण्डवा।

उपस्थिति :–

1. श्री हनुमान फिडौदा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 05.02.18

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 94/2017 सरकार बनाम मदनराम में निर्णय दिनांक 21.02.17 के तहत मौजा दियावडी के खसरा नं. 12 रकबा 12.17 बीघा गै.मु. नाडी भूमि से बेदखली एवं शास्ति के आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 07.03.2017 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 10.03.2017 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय के सामान्य सिद्वान्तों के अनुरूप निर्णय नही कर, न्याय का गला घोंटा गया है, जिससे निर्णय दिनांक 21.02.17 निरस्तनीय है।

{2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को प्रथमतः तो विधिवत नोटिस नही दिया एवं न ही व्यक्तिगत तामील कराई गई। फिर भी दिनांक 21.02.17 को ही एक ही दिन में सारी कार्यवाही कर चुपचाप एकतरफा में निर्णय पारित किया गया जो विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है।

{2}(III)–अपीलांट को धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम का विधिवत नोटिस दिया जाता तो अपीलांट जवाब प्रस्तुत कर साक्ष्य सबूत कर पटवारी हल्का दियावडी के बयान से प्रतिपरीक्षा, जिरह कर वास्तविक स्थिति सामने लाता कि हाल खसरा नं. 12 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा गै.मु. नाडी राजस्व विभाग के सेटलमेंट के समय गलत रूप से दर्ज कर दिया, जबकि वास्तव में अपीलांट के पिता के समय का कब्जा काश्त का खेत कृषि भूमि का उपयोग क्षेत्र है, जो वर्तमान कब्जा के आधार पर हक तय हो सकते है जिसके लिये अपीलांट ने सक्षम न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय नागौर की अदालत में वाद पत्र भी घोषणा हक, अधिकार व स्थायी व्यादेश का प्रस्तुत कर रखा है। इन सभी बिन्दुओं का निस्तारण अपीलांट को विधिवत सुनवाई का अवसर दिये जाने पर ही प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर हो सकता है। इस प्रकार भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वास्तविक तथ्यों एवं वाक्याति परिस्थितियों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अपराध व अतिक्रमण की पुनरावृति पूर्व में मौके पर भौतिक रूप से बेदखल कर खसरा नं. 12 मौजा सेनणी के कब्जा से अतिक्रमण हटाने तथा अतिक्रमित भाग राज हक में लिये जाने के बाद पश्चातवृति अतिक्रमण किया जाता है तब पूर्व प्रकरण की नकले दस्तावेज पेश कर प्रदर्श कराने से ही पश्चातवृति अतिक्रमण माना जाता है मगर इस प्रकरण में इस तरह की कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किया गया है केवल मात्र एक ही दिन मे गलत, एकतरफ कार्यवाही के आदेश पारित कर पटवारी हल्का के अपुष्ट व अधूरे बयानों के आधार पर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, इसलिये निर्णय दिनांक 21.02.17 निर्णय की परिभाषा में नही आने से निरस्तनीय है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(V)–अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथमतः विधिवत नोटिस देकर अपीलांट को कोई सूचना प्रकरण हाजा की नही दी गई न ही समुचित अवसर सुनवाई का दिया गया है। जिससे मामला रिमाण्ड के होने से निर्णय दिनांक 21.02.17 निरस्तनीय है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा दियावडी में स्थित गै. मु.नाडी भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके दियावडी के खसरा नंबर 12 रकबा 12.70 बीघा गै.मु. नाडी भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया है तथा आराजी भूमि राजकीय भूमि होना रेकर्ड से साबित है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। इससे पूर्व में प्रकरण सं. 91/15 में दिनांक 24.10.15 को अपीलांट की भौतिक रूप से बेदखली भी की गई है। जिसे पटवारी के बयान दिनांक 21.02.17 से साबित करवाया गया है। इस प्रकार अतिक्रमण की पुनरावृति करना भी साबित है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. नाडी है। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दि. 02.08.04 की अनुपालना में अंगौर भूमि पर पूर्व किए गए आवंटन/नियमन को निरस्त करवाए जाने हेतु रेफरेंस तैयार कर सम्बन्धित न्यायालयों में पेश भी किये जा रहे हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत अंगौर किस्म की भूमि का आवंटन/नियमन किया जाना निषेधित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील के तहत बेदखली, जुर्माना व सजा का आदेश यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर